

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, लखीमपुर खीरी


आवश्यक सूचना

शासनादेश संख्या-3007/60-1-12-1/13(71)/06 दिनांक 04.09.2012 एवं तत्क्रम में निदेशक, महिला कल्याण उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-सी.-965 दिनांक 07.12.2012 तथा शासनादेश संख्या-1860/60-1-14-1/13(71)/06 दिनांक 09.12.2014 के क्रम में समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत संविदा के आधार पर निम्न 01 पद पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं०	पद का नाम	सृजित पदों की संख्या	मानदेय	विभागीय अथवा नियुक्ति द्वारा	पद की प्रकृति/ भर्ती का स्रोत	आयु सीमा (01 जुलाई 2020 को)	योग्यता	अवधि
1	2	3	4			5	6	7
1	संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थानिक देखभाल)	01	21000	नियुक्ति द्वारा	अस्थाई/चयन प्रक्रिया द्वारा संविदा पर	25 से 45 वर्ष	2. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ निम्नलिखित किसी एक विषय यथा सामाजिक कार्य/समाज शास्त्र/मनोविज्ञान में स्नातक उपाधि। अनुभव :: 4. बच्चों की देखरेख संरक्षण एवं पुर्नवास के क्षेत्र में 01 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव। 5. हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के लेखन एवं बोलने में दक्षता। 6. कम्प्यूटर संचालन में दक्षता।	सम्बन्धित कार्मिक का प्रतिवर्ष मूल्यांकन किया जायेगा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर कार्यकाल अधिकतम 05 वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा।

आवश्यक निर्देश :-

- उपरोक्त पदों पर चयन कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
- सरकारी सेवा में कार्यरत आवेदक अपने आवेदन पत्र सम्बन्धित कार्यालय/विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजेंगे।
- समस्त शैक्षिक योग्यता/अनुभव एवं अन्य अर्हताओं आदि का उल्लेख करते हुए इनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर पद का नाम स्पष्ट अंकित करें।
- आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 14.10.2020 की सायं 5.00 बजे तक होगी। समस्त आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट लखीमपुर खीरी के पते पर भेजे जायेंगे। अन्य माध्यमों से अथवा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- साक्षात्कार/परीक्षा हेतु आने-जाने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र ई-मेल/रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा, इसलिए प्रत्येक आवेदक आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलम में अपना स्पष्ट ई-मेल आई.डी. व मोबाइल नम्बर आवश्यक रूप से अंकित करने के साथ ही रजिस्टर्ड पत्र प्रेषण हेतु आवश्यक डाक टिकट सहित अपना पता लिखा एक लिफाफा आवश्यक रूप से संलग्न करें।
- चयन समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- चयन प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को ही चयन की सूचना प्रेषित की जायेगी।


 (संजय कुमार निगम)
 जिला प्रोबेशन अधिकारी/
 सदस्य सचिव
 जिला बाल संरक्षण इकाई
 लखीमपुर खीरी

संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक देखभाल) व संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थानिक देखभाल) हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

जनपद का नाम

पद कोड

आवेदित पद का नाम

अभ्यर्थी का नाम

पिता/पति का नाम

माता का नाम

आयु (01.07.2020) को वर्ष.....माह.....दिन.....

जन्म तिथि अंको में..... (शब्दों में)


जाति....., लिंग..... राष्ट्रीयता

ई-मेल आईडी (यदि कोई हो)

पत्राचार का पता

स्थायी पता

दूरभाष/मोबाइल नं०



1. शैक्षिक अर्हता (हाई स्कूल से प्रारम्भ)

क्र०सं०	शैक्षिक योग्यता	कालेज/विश्वविद्यालय/संस्था का नाम	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	हाई स्कूल						
2	इण्टर मीडिएट						
3	स्नातक						
4	परास्नातक						
5	कम्प्यूटर दक्षता						
6	अन्य						


2. Work experience (वर्तमान स्थिति) (Attach all relevant certificate as enclosure)

क्र०सं०	संगठन का नाम	किस पद पर कार्य किया गया	पदावास की अवधि	कार्य की प्रकृति
1				
2				

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन प्रपत्र तथा इसके अनुलग्नकों में मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं। मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गयी कोई सूचना भविष्य में किसी भी समय मिथ्या पायी जाती है तो इससे मैं आवेदित पद के लिए अपात्र हो जाऊंगा/जाऊंगी ।

दिनांक :

अभ्यर्थी/आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर


 जिला प्रवेशन अधिकारी
 लखीमपुर-खीरी